



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O

Bengaluru – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.:1355 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1355

विषय/ Sub:फ्यूल कंटेंट गेजिंग फ्रंट मेन टैंक (एफ एम टी) प्रोब, पार्ट सं. 236200000 /

Fuel Content Gauging Front Main Tank (FMT) Probe

Part No.: 236200000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ – 226 016, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “फ्यूल कंटेंट गेजिंग फ्रंट मेन टैंक (एफ एम टी) प्रोब” पार्ट सं.:236200000, को संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए-1355, दिनांक 15 सितंबर 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1355 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.:सेमिलैक/5070/टीए-1355-1आर, दिनांक 20 फरवरी 2014 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

This is to state that the “Fuel Content Gauging Front Main Tank (FMT) Probe” bearing the Part No.: 236200000, designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 1355 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1355, dated: 15th September 2008. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1355 -1R, dated: 20th February 2014 with validity up to 31st December 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(लखनऊ), डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा मेसर्स एच ए एल पोस्ट, लखनऊ - 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is here by renewed w.e.f 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), DRDO, CEMILAC, C/o M/s HAL Post, Lucknow - 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. आर सी एम ए (लखनऊ) से संदर्भ सं. आर सी एम ए(लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 05 नवंबर 2018 द्वारा प्राप्त मांग के अनुसार उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1355 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The following amendment is effected based on the request from RCMA (Lko) vide Ref. No.: RCMA (Lko) / 341/3/Tech /4, dated: 05th November 2018 in the subject Type Approval No.: 1355.

प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1355, दिनांक 15 सितंबर 2008 के परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ 1 की तालिका-1 की अंतिम पंक्ति में (अस्थाई मंजूरी सं.के बाद) निम्नलिखित को जोड़ा जाए:

*In Page 1, Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA-1355, dated: 15th September 2008, **add** the following as last row of the Table No.: 1 (after Provisional Clearance No.):*

Approved Component Build
Standard (ACBS) Reference

ACBS No.:236200000 - 264
Issue -'2K', dated: 07th August 2018

4. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1355, दिनांक 15 सितंबर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (04) चार में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The Para (04) four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1355, dated: 15th September 2008 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बंगलूरु- 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1355/2R
दिनांक / Date: 31 December 2018
फैक्स सं. / Fax No.: 080 - 25230856

HR

P. Jayapal
पी . जयपाल / P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)